भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5348
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल-संकट वाले शहरों में पाइप से जलापूर्ति

5348. श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में सर्वाधिक जल-संकट वाले शहरों की संख्या कितनी है और शहरों में जल की कमी को दूर करने और जल संरक्षण में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ख) वर्तमान में कितने प्रतिशत शहरों में पाइप द्वारा 24x7 जलापूर्ति की जा रही है और सरकार, विशेषकर महाराष्ट्र और अन्य शहरी केन्द्रों में इस कार्यप्रणाली का किस प्रकार विस्तार करने की योजना बना रही है;
(ग) सरकार द्वारा भूजल के पुनर्भरण में सुधार लाने के लिए अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्रों में झीलों और जलाशयों सहित जल निकायों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) जल की भावी मांग को पूरा करने के लिए विलवणीकरण परियोजनाओं, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन नीतियों की स्थिति क्या है और इन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है; और
(ङ) सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित जल की कमी को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रही है और देश के प्रमुख महानगरों में जल संकट को रोकने के लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

इस दिशा में, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार

को निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 55 एलपीसीडी) में नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करने और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

महाराष्ट्र में अमृत मिशन के तहत, 4,446.06 करोड़ रुपये की 43 जल आपूर्ति परियोजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। अमृत मिशन के तहत और राज्य के सामंजस्य में 11.73 लाख नल जल कनेक्शन (नए/सर्विस किए हुए) प्रदान किए गए हैं और राज्य में 445.7 एमएलडी जल उपचार क्षमता सृजित की गई है।

अमृत के तहत और सामंजस्य में तमिलनाडु में 985 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव सहित) का एक विलवणीकरण संयंत्र शुरू/पूरा किया गया है। अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण के लिए, 34,505 करोड़ रुपये की लागत वाली 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं अमृत के तहत शुरू की गई हैं। 4,447 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता सृजित की गई है और पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए 1,437 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता विकसित की गई है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य जल कार्य योजनाओं को 67,607.67 करोड़ रुपये की लागत वाली 592 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किया गया है जिसमें 6,739 एमएलडी की कुल सीवेज शोधन क्षमता और पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए 2089 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines% 20 VoL%20I(2).pdf) जारी किए हैं। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश, 2014 के अध्याय-6 ''स्थायित्व दिशानिर्देश'' वर्षा जल संचयन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।

मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उप-नियम (एमबीबीएल)-2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) भी जारी किए हैं, जिसमें अध्याय-9 राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए वर्षा जल संचयन के प्रावधानों से संबंधित है।

****